तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2018	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रार्थी द्वारा अपने रहवासीय भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जिस पर आपत्ति प्रस्तुत होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा के जरिये प्रार्थी की मिसल में कार्यवाही रोकी जाकर पट्टा बनाने का निर्णय स्थगित किया, जो विधि विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने रहवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर सचिव को नक्शा बनाने एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में नक्शा मौका एवं तीन वार्ड पंचो की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। जिस पर श्रवणलाल पुत्र सुखाराम रेगर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आपत्ति का निस्तारण नहीं करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही स्थगित कर दी है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए आपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही करतें, जो नहीं की गई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 48/2017 में पारित आज्ञा दिनांक 18.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की विधिवत पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	